भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या –1988
दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नाबालिगों के पासपोर्ट का नवीकरण

1988. **कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ब्रिटेन में अपने माता–पिता के साथ रह रहे भारत के अनेक नाबालिगों और जिनके माता–पिता में कोई एक पुर्तगाली नागरिक हैं, के पासपोर्ट का भारतीय दूतावास/भारत सरकार द्वारा नवीकरण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण नाबालिग भारत नहीं लौट सकते हैं; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे नाबालिगों के पासपोर्ट के नवीकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(**श्री कीर्ति वर्धन सिंह**)

(क) और (ख) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 (2) (क) के सांविधिक प्रावधान के अनुसार, नाबालिगों सहित किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार किया जा सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रह गया है। ऐसे माता–पिता (भारतीय मूल के) जो नागरिकता अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत अपनी नागरिकता का त्याग कर देते हैं, परिणामस्वरूप उनके नाबालिग बच्चे भारतीय नागरिकता खो देते हैं और वे भारतीय नागरिक नहीं रह जाते हैं, और इस प्रकार अपना पासपोर्ट पुनः जारी नहीं करवा पाते हैं। यह प्रावधान सभी पर समान रूप से लागू है, भले ही उनके माता–पिता ने कोई भी राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली हो। सरकार ने ऐसे नाबालिगों को पासपोर्ट पुनः जारी करने के संबंध में भारत और विदेश में स्थित सभी पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकरणों को विधिक एवं प्रक्रियात्मक स्थिति से अवगत कराने के लिए उपाय किए हैं।

*****